



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2289]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2019/आषाढ़ 21, 1941

No. 2289]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2019/ASHADHA 21, 1941

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2019

का.आ. 2515(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 के 10) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) की भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 7 मार्च, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1147(अ) को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह विनिर्दिष्ट करती है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तारीख 31 जनवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-स्थापना (आरक्षण) में निर्दिष्ट रीति में केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था के अध्यापक काडर में मंजूर पद संख्या में से सीधी भर्ती में पदों का आरक्षण होगा, जो निम्नानुसार है, अर्थात्:-

- (क) अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत;
- (ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत;
- (ग) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत; और
- (घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 38-11/2017-सीयू-V]

सुखबीर सिंह संधु, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2019

S.O. 2515(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 3 of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2019 (10 of 2019) and in supersession of the notification of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) number S.O. 1147(E) dated the 7th March, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies that there shall be reservation of posts in direct recruitment out of the sanctioned strength in teachers' cadre in a Central Educational Institution in the manner specified in Office Memorandum, No. 36039/1/2019-Estt/(Res.) of the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, dated 31st January, 2019 to the extent as follows, namely:—

- (a) fifteen per cent. for Scheduled Castes;
 - (b) seven and one-half per cent. for Scheduled Tribes;
 - (c) twenty-seven per cent. for socially and educationally backward classes; and
 - (d) ten per cent. for economically weaker sections.
2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 38-11/2017-CU-V]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy.